वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 42 वीं बैठक दिनांक 23 अप्रेल 2012 को अपरान्ह पूर्व 11.30 बजे विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित गांधी भवन में आयोजित की गई, बैठक की अध्यक्षता माननीय कुलपति महोदय द्वारा की गई एवं बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया :–

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति महोदय
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

2. प्रो0 पी0 के0 शर्मा — सदस्य
   आचार्य(प्रबंध)वमखुविवि,कोटा।

3. प्रो0 एम0 के0 घड़ोलिया — सदस्य
   आचार्य (अर्थशास्त्र),वमखुविवि,कोटा ।

4. प्रो0 बी0 के0 शर्मा — सदस्य
   आचार्य (इतिहास) वमखुविवि,कोटा ।

5. डा0 आर0 सी0 मीणा — सदस्य
   निदेशक(क्षे0के0)अजमेर।

6. डा0 अरविंद पारीक — सदस्य
   निदेशक (क्षे0के0) जयपुर।

7. डा0 एल0 आर0 गुर्जर — सदस्य
   सह आचार्य (राज0 विज्ञान)वमखुविवि,कोटा।

8. डा0 श्रीमती कमलेश शर्मा — सदस्य
   सह आचार्य (राज0 विज्ञान)वमखुविवि,कोटा।

9. डा0 एच0 बी0 नंदवाना — सदस्य
   सह आचार्य (पुस्तकालय)वमखुविवि,कोटा।

10. डा0 अशोक शर्मा — सदस्य
    सह आचार्य (राज0 विज्ञान)वमखुविवि,कोटा।

P.T.O.

11. डा0 याकुब अली खान — सदस्य
सह आचार्य (इतिहास)वमखुविवि,कोटा।

12. डा0 जे0 के0 शर्मा — सदस्य
सह आचार्य (अर्थशास्त्र)वमखुविवि,कोटा।

13. डा0 बी0 अरूण कुमार — सदस्य
सह आचार्य (राज0 विज्ञान)वमखुविवि,कोटा।

14. श्री योगश शर्मा — सदस्य
सहा0 आचार्य (विधी)वमखुविवि,कोटा।

15. डा0 आर0 के0 जैन — सदस्य
सहा0 आचार्य (प्रबंध)वमखुविवि, कोटा।

16. डा0 श्रीमती क्षमता चौधरी — सदस्य
सहा0 आचार्य (अंग्रेजी)वमखुविवि,कोटा।

17. डा0 श्रीमती मीता शर्मा — सदस्य
सहा0 आचार्य (हिन्दी)वमखुविवि,कोटा।

18. डा0 श्रीमती कीर्ती सिंह — सदस्य
सहा0 आचार्य (शिक्षा)वमखुविवि,कोटा।

19. डा0 अनुरोध गोधा — सदस्य
सहा0 आचार्य (वाणिज्य)वमखुविवि,कोटा।

20. श्रीमती अनुराधा शर्मा — सदस्य
सहा0 आचार्य (बॉटनी) वमखुविवि,कोटा।

21. श्री एन0 एल0 चांडक — सदस्य
परीक्षा नियंत्रक,वमखुविवि,कोटा।

22. डा0 जुल्फिकार बेग मिर्जा (R.A.S.) — सदस्य सचिव
कुलसचिव

Contd-3

42/03 आर0 टी0 आई0 अधिनियम 2005 के तहत छात्रों को उत्तर पुस्तिकाऐं दिखाने नियमों के सम्बन्ध में गठित समिति का प्रतिवेदन विचार विमर्श बाद निर्णयार्थ।

आर0 टी0 आई0 छात्रों को उत्तर पुस्तिकाऐं दिखाने सम्बन्धी समिति की अनशंसाओं पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रकाश डाले जाने के बाद हुई चर्चा में सदस्यगणों का मत था कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के पद्रह दिवस तक उत्तर पुस्तिकाऐं दिखाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाने की व्यवस्था के स्थान पर आवेदन आमंत्रित करने की समय सीमा एक माह रखी जानी चाहिए, इसके अतिरिक्त सदस्यगणों द्वारा नेत्रहीन परीक्षार्थियों की व्यवस्था के सम्बन्ध में समिति के प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं होने की चर्चा भी गई ।

चर्चा बाद परीक्षा नियंत्रक द्वारा सदन का अवगत करवाया कि नेत्रहीन परीक्षार्थियों को परीक्षा में सहायता हेतु नियमानुसार सहायक को साथ बैठाने की व्यवस्था है,उस व्यवस्था के तहत ही नेत्रहीन छात्र को उत्तर पुस्तिका दिखाने की व्यवस्था की जाएगी।

उक्त जानकारी के बाद सदन द्वारा समिति की अनुशंसा को उत्तर पुस्तिका दिखाने की समय सीमा 15 दिवस के स्थान पर तीस दिवस करने के संशोधन एवं नेत्रहीन विद्यार्थियों को कापी दिखाने के लिए परीक्षा नियमों के अनुसार सहायक रखने का प्रावधान करने के निर्णय के साथ अनुमोदित किया गया।

42/04 छात्रों द्वारा उपयोग में ली गई उत्तरपुस्तिकाओं एवं छात्रों द्वारा जमा करवाये गये आंतरिक मुल्यांकनों के निस्तारण करने के सम्बन्ध में गठित समिति का प्रतिवेदन विचार विमर्श बाद निर्णयार्थ।

उपयोग में ली गई संत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं एवं छात्रों द्वारा जमा करवाए गये आंतरिक मुल्यांकनों का निस्तारण समिति की अनुशंसा के आधार पर करने का निर्णय किया गया।

42/05 नवीन पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों में टंकण त्रुटी के कारण छूटे प्रावधान को प्रतिस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पोस्ट ग्रजुएट प्रोग्रामों के लिए विद्या परिषद की 41वीं बैठक में अनुमोदित आर्डिनेंस में प्रावधान संख्या 8.4(6) में उपबिंदु (ii) टंकण त्रुटी के कारण छपने से रहे प्रावधान को उपबिंदु (i) के बाद उपबिंदु (ii) के रूप में निम्नानुसार प्रतिस्थिपित किये जाने का अनुमोदन किया गया :–

उपबिंदु (ii) A one-time facility is given to the student so that after completing the maximum duration of the programme he /She shall be eligible for re-registration within one academic year. After re-registration the student will have to clear all his/her due courses within one academic year.

Contd.–5

माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सदस्य सचिव को बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिये जाने के साथ ही बैठक विधिवत प्रारंभ हुई, कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर चर्चा से पूर्व प्रो0 पी0 के0 शर्मा द्वारा विद्या परिषद के गठन सम्बन्धी जानकारी चाहते हुए कहा कि बैठक की सूचना से यह ज्ञात नहीं होता है कि बैठक में कौन शिक्षक किस प्रावधान के तहत सम्मिलित हुए है, इस पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा व्यवस्था दी की गठन सम्बन्धी यदि कोई संशय है तो इसके लिए अलग से लिखित में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य गणों का यह भी विचार था कि बैठक की सूचना लगभग चार–पांच दिन पूर्व ही दी गई है,एवं विस्तृत कार्यसूची विवरण सदन के पटल पर ही प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में कार्यसूची विवरण का पूर्ण अध्ययन किए बिना उचित चर्चा किये जाने में कठिनाई होती है,माननीय कुलपति महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में कहा गया कि पिछले काफी समय से संकाय सदस्यों की ओर से विद्या परिषद की बैठक हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है, अन्य विभागों से कुछ महस्तवपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए थे एवं निकट भविष्य में वित्त समिति एवं प्रबंध मंडल की बैठक आयोजित होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए कम समय के नाटिस पर बैठक आयोजित किए जाने का निर्णय किया गया है।

उक्त व्यवस्था के बाद के कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर चर्चा प्रारंभ कर निम्नानुसार निर्णय किये गये:–

42/01 विद्या परिषद की 41वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

बिंदु पर चर्चा करते हुए सदस्यगणों द्वारा कहा गया कि पूर्व बैठक में यह निर्णय हुए था कि शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में यु0जी0सी0 नियम 2010 के अवकाश सम्बन्धी प्रावधान को आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा किंतु उक्त अवकाश नियम राज्य सरकार से पत्र प्राप्त होने के दिनांक से लागू किए जाने का निर्णय किया गया है,तथा सी0ए0एस0 लागू करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यगणों द्वारा जानकारी चाही गई।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया राज्य सरकार के पत्र में वेतन भत्ते दिये जाने के दिनांक का उल्लेख किया गया है,अन्य प्रावधानों को लागू करने के सम्बन्ध में सहमति देते हुए कोई समय सीमा नहीं दी गई थी,इस कारण यह निर्णय किया गया कि राज्य सरकार के पत्र जारी करने के दिनांक से यु0जी0सी0 नियम–2010 लागू किए जाए, यू0जी0सी0 रेग्युलेशन 2010 में वर्णित पदों की नियुक्ति प्रकिया,शिक्षकों के कार्यभार,कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ प्रदान की प्रकिया निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित की गई थी,जिसका प्रतिवेदन बैठक के समय ही प्राप्त हुआ है एवं अलग प्रस्ताव के रूप में चर्चा हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

उक्त जानकारी के बाद विद्या परिषद की 41वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोद किया गया।

42/02 विद्या परिषद की 41वीं बैठक में लिए गये निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन।

अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन कर की गई कार्यवाही के प्रति संतोष प्रकट करते हुए अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

P.T.O.

उक्त प्रस्ताव के कम में सदन द्वारा भूतलक्षित प्रभाव से कार्यत्तर स्वीकृति दिए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

42/07(5) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम–2010 लागू किए जाने के सम्बन्ध में यू0जी0सी0 रेग्युलेशन 2010 में वर्णित पदों की नियुक्ति प्रकिया,शिक्षकों के कार्यभार,कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ प्रदान करने के लिए प्रकिया का निर्धारण करने हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष अवलोकन एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति के प्रतिवेदन के बिंदु संख्या 03 एवं 04 के सम्बन्ध में कुलसचिव द्वारा सदन के समक्ष यह तथ्य लाया गया कि दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित कार्य बिंदुओं के सम्बन्ध में यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रति सप्ताह अथवा प्रति माह दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित कार्य बिंदुओं पर कितने घंटे कार्य किया जाएगा बिना इसके कार्यभार, सी0ए0एस0 एवं अवकाश के सम्बन्ध कार्यवाही होने में कठिनाई है। इस पर यह निर्णय किया गया कि इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के निदेशक (संकाय) की संयोजकता में एक समिति गठित की जाए जिसमें निदेशक (योजना एवं विकास), प्रो0 पी0के0 शर्मा, प्रो0 एम0 के घड़ोलिया एवं डा0 एल0आर0 गुर्जर को सदस्य तथा उपकुलसचिव (स्थापना) को समिति के सचिव के रूप में सम्मिलित किया जाए।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञाप्ति करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव
(विद्या परिषद)

42/06 दीक्षांत समारोह आयोजित करने सम्बन्धी प्रस्तावों के साथ दीक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सदन को समारोह आयोजन के लिए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं महामहिम राज्यपाल महोदय को आमंत्रित करने में आ रही कठिनाईयों पर प्रकाश डालते हुए मुख्य अतिथि एवं डि0लिट की मानद उपाधि के लिए नाम के सम्बन्ध में सदस्यगणों के विचार आमंत्रित किए।

सदन द्वारा चर्चा बाद यह निर्णय किया गया कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा आगामी दो–तीन माह में महामहिम राज्यपाल महोदय को आंमत्रित करने का प्रयास करें तथा यदि किसी कारणवश महामहिम की सहभागिता संभव नहीं हो सके तो समारोह की अध्यक्षता के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा अपने स्तर पर निर्णय कर लिया जाए। इसके साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि दीक्षांत समारोह आयोजित करने के एक दिवस पूर्व ग्रेस पास के लिए विद्या परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाए एवं विद्या परिषद की उक्त बैठक से एक दिवस पूर्व तक के पी0एच0डी0 उपाधि धारकों का ग्रेस पास में सम्मिलित किया जाए।

उक्त बिंदुओं के बाद टेबल एजेंडा के रूप में कुल पांच प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये जिन पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय किए गयेः–

42/07(1) प्राकृत भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डी.पी.पी.एल.) एवं अपभ्रंश भाषा में डिप्लोमा (डी.पी.ए. एल.) के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का (पाठ्यक्रम लेखकों एवं सम्पादको की सूची, कार्यक्रम संरचना सहित) अनुमोदन करते हुए माननीय सदस्यगणों द्वारा यह विचार व्यक्त किए गये कि "नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के प्रस्तावों को विद्या परिषद से पूर्व आयोजना मंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।"

42/07(2) प्राकृत भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डी.पी.पी.एल.) एवं अपभ्रंश भाषा में डिप्लोमा (डी.पी.ए. एल.) लिए गठित विशेषज्ञ समिति को पाठ्यक्रम निर्माण समिति बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

42/07(3) उर्दू विषय को बी0ए0 में एच्छिक पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की गई। तथा पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन वि0वि0 अधिनियम की धारा 8.4 के तहत किए जाने के निर्णय की पुष्टि भी की गई।

42/07(4) राजस्थानी भाषा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की समन्वयक द्वारा डा0 मीता शर्मा द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में जुलाई–2009 से संचालित किया जा रहा है,किंतु पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति विद्या परिषद से अथवा वि0वि0 अधिनियम की धारा 8.4 के तहत प्राप्त किए जाने का उल्लेख तत्समय के समन्वयक द्वारा सुपुर्द रिकार्ड में नहीं प्राप्त हुआ है,अतः पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने की भूतलक्षित प्रभाव से कार्योत्तर स्वीकृति दिए का प्रस्ताव किया गया।

P. T. O.